21/8/2019 पी. ओ. सा. अवकाश में है। पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक —— 22/08/2019 —— को पेश हो।

22/8/19 पी.ओ. साहब [illegible] में व्यस्त है पेशी इत्तला होकर पत्रा[illegible] 28/8/19 को पेश हो।

28/8/2019 वकुलाय उप0।
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 9/9/19 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली

09.09.2019 वकुलाय उपस्थित।
पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी रेकर्डेड खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की। वक्त बेचान उक्त आराजी के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन था, किन्तु बेचान पर रोक नहीं होने के कारण बेचान किया गया। इसके पश्चात वाद दिनांक 10.07.2018 को खारिज़ हो गया। तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकार किया गया। जबकि वक्त दायर नामान्तरकरण जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन नहीं था, तो जैर अपील नामान्तरकरण को अस्वीकार करने का कोई विधिक कारण उपलब्ध ही नहीं था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं।
परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम निम्बेडा कला तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 2683 पर नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार रायपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 21.02.2017 के आधार पर प्रकरण की जांच कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली इस न्यायालय के नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली